12/2/26

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर बहस सुनी गई। उक्त में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा स्वयं का नाम भानो की स्थान पर पन्नी दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील अपीलांट बहस का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा - आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि में अपीलांट का नाम पन्नी बाई अंकित है और सरपंच ग्राम पंचायत हरनगर द्वारा भी अपीलांट का नाम पन्नी माना है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते हैं कि नामांतरण संख्या 506 दिनांक 4/12/2010 ग्राम हरनगर को निरस्त किया जाकर विधिक कार्यवाही की जांच कर पुनः नामांतरण पर्ण भरें व अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भानो के स्थान पर पन्नी दर्ज किया जावे। पत्रावली दौरान [illegible] तहसील के बाद वापस भेजा जावे [illegible] नियमानुसार जमा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:08:38 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)